कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–न–5(4)पु.फो. / उ.नि. / 2016 / पार्ट– I / 1900 दिनांकः– 12-5-2017

उप निरीक्षक / प्लाटून कमाण्डर के पद पर खेल कोटा के अन्तर्गत सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति

1. राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम–17 (2) (ए) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान पुलिस में खेल कोटा के तहत उप निरीक्षक / प्लाटून कमाण्डर (आरएसी) के 34 (21 उप निरीक्षक एवं 13 प्लाटून कमाण्डर) रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए योग्य एवं पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन–पत्र (Application form) आमंत्रित किए जाते हैं।

स्पोर्टस कोटा के तहत भर्ती किये जाने वाले पदों का विवरण

S.No.	Name of Game	Vacancies (Category)	Event/Weight (Category)
1.	Archery	02 Men	Recurve 70 M
		01 Women	Recurve 70 M
		01 Men	Compound 50 M
2.	Wu-Su	01 Men	65 kg
		01 Men	70 kg
3.	Wrestling	02 Men	1- 59 kg Greeco Roman 2- 57 Kg Free style
		02 Women	1- 53 kg Free Style 2- 69 kg Free Style
4.	Athletics	02 Men	5000 M
		02 Men	10000 M
		02 Women	5000 M
		02 Women	10000 M
		01 Men	1500 M
		01 Women	1500 M
		01 Men	800 M
		01 Men	Hammer Throw
		01 Men	Discus Throw
		01 Men	Shotput
		01 Men	Javelin Throw
		01 Men	Long Jump
5.	Kabaddi	02 Men	Raider
		02 Men	Defender
		02 Women	Raider
		02 Women	Defender
Total – 34 (Men-22, Women-12)			

2. यह आवेदन पत्र महानिरीक्षक पुलिस (मुख्यालय) राजस्थान, जयपुर को सम्बोधित करते हुए दिनांक **19 जून 2017** तक रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट द्वारा / व्यक्तिशः पुलिस मुख्यालय, लालकोठी जयपुर के कमरा नं. **2** में भिजवाए जा सकते है या जमा करवाये जा सकते है। इसके पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नही किये जायेंगे। भर्ती हेतु

योग्यता एवं पात्रता, भर्ती प्रकिया इत्यादि का विस्तृत विवरण पुलिस मुख्यालय के स्थाई आदेश संख्या 5/2017 में वर्णित है। यह स्थाई आदेश राजस्थान पुलिस की वेबसाईट पर उपलब्ध है। किसी भी विवाद की स्थिति में स्थाई आदेश संख्या 5/2017 दिनांक 14.03.2017 में वर्णित प्रावधानों को ही अन्तिम माना जावेगा।

3. **आवेदन शुल्क** :– अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ निम्नानुसार राशि का भारतीय पोस्टल ऑर्डर संलग्न करना आवश्यक है।

1. सामान्य वर्ग एवं राजस्थान राज्य से बाहर के सभी वर्ग के अभ्यर्थी –350/–रूपये
2. ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी –250/–रूपये
3. एस0सी0/एस0टी वर्ग के अभ्यर्थी –150/–रूपये

4. **अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता:–**

1. Must hold a Degree of any of the Universities incorporated by an Act of the Central or State Legislatures in India or other Educational Institution established by an Act of Parliament or State Legislature or declared to be deemed as University Under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956, or possess an equivalent qualification recognized by the Government in consultation with the Commission.
2. उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे बोर्ड द्वारा आयोजित ट्रायल से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा।

   स्पष्टीकरण:– उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे, जो आवेदक आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक पद की वांछित योग्यता की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे।
3. अभ्यार्थी को देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिन्दी का काम चलाऊ ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान रखना होगा।

5. **वेतनमान एवं पेंशन:–** नियुक्ति के उपरान्त 2 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में 14660/–मासिक नियत पारिश्रमिक देय होगा। तत्पश्चात उप निरीक्षक पुलिस/प्लाटून कमाण्डर पद की नियमित वेतन श्रृखंला 9300–34800 (ग्रेड–पे–4200) वेतन एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे। नियक्त होने वाले उप निरीक्षक पुलिस/प्लाटून कमाण्डर को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.01.2004 से निर्धारित की गई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

6. आयु सीमाः– दिनांक 01 जनवरी 2018 को न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम् 25 वर्ष

आयु सीमा में छूट के प्रावधान		
क्र.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग	अधिकतम् आयु में देय छूट (वर्षो में)
1	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के पुरूष एवं सामान्य महिला	5
2	राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग की महिला	10
अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान		
1	राजस्थान राज्य सरकार के कारोबार में कार्यरत कर्मचारियों तथा कर्त्तव्य पालन करते समय मारे गये पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रितों के लिये अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देय होगी।	
2	भूतपूर्व सैनिकों और रिजर्विष्ट अर्थात जिनका रक्षा सेवा कर्मचारी दल से रिजर्व में ट्रांसफर हो गया हो, के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।	
3	रिलीज्ड इमरजेन्सी कमीशण्ड ऑफिसर/शॉर्ट सर्विस कमीशण्ड ऑफिसर सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिये इस प्रकार पात्र थे तो सेना से रिहा होने के बाद उन्हें आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय, चाहे वे आयु सीमा पार कर चुकें हों, पात्र समझा जावेगा।	
4	However the upper age limit mentioned above may be relaxed by three years in exceptional cases by appointing authority, after previous approval of Government.	

नोटः–

1. उपरोक्त वर्णित आयु में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड कर छूट का लाभ नही दिया जावेगा।
2. शासन से प्राप्त सेवावार, वर्गवार वर्गीकरण मे किसी वर्ग के लिए पद आरक्षित नहीं होने पर भी उपरी आयु सीमा में अभ्यर्थी को उसके वर्ग हेतु देय अधिकतम् आयु सीमा में छूट का लाभ देय होगा।

7. आवेदन प्रक्रियाः– आवेदन पत्र का प्रारूप राजस्थान पुलिस की वेबसाईट **http://www.police.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी उक्त वेबसाईट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर उसे स्वयं की हस्तलिपि में पूर्ण रूप से भरकर एवं निर्धारित शुल्क का भारतीय पोस्टल ऑर्डर "महानिरीक्षक पुलिस (मुख्यालय) राजस्थान, जयपुर" को सम्बोधित करते हुये संलग्न कर नियत तिथि तक विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या–2 में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार जमा करा सकते है।

8. **शारीरिक मापदण्ड :–**

A candidate for direct recruitment of the Service, must be in good mental and bodily health and free from any mental or physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties as a member of Service and if selected must produce a certificate to that effect from a Medical Authority notified by the Government for the purpose.

प्रत्येक पुरूष उम्मीदवार की उंचाई तथा सीने की परिधि निम्नलिखित से कम न हो :–

1. उंचाई : 168 से.मी.
2. सीना बिना फुलाये 81 से.मी. तथा फुलाने पर 86 से.मी. (सीने के न्यूनतम 5 से.मी. फुलाव के साथ) से कम नहीं।

नोट :–

(1) पहाडी तथा जनजाति क्षेत्र के पुरूष अभ्यर्थियों की उंचाई 160 से.मी. से कम नहीं होनी चाहिए तथा सीना बिना फुलाये 79 से.मी. तथा फुलाने पर 84 से.मी. से कम नही होना चाहिए।

(2) महिला उम्मीदवार की उंचाई एवं वजन क्रमशः 152 से.मी. एवं 47.5 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए।

(3) उपर वर्णित शारीरिक समुपयुक्तता के मापदण्डो के धारक राजस्थान की अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवार वांछित संख्या में उपलब्ध न होने की स्थिति में राजस्थान की अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों की उंचाई एवं सीने के माप में 5 से.मी. तक की छूट दी जा सकती है।

9. **महत्वपूर्ण निर्देश :–**

I. खेल प्रमाण पत्र विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 03 वर्ष से अधिक पुराने नही होने चाहिए।

II. एक से अधिक खेल/इवेन्ट में आवेदन करने वाले अभ्यार्थियों को पृथक–पृथक शुल्क के साथ पृथक–पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

III. अभ्यार्थियों को आवेदन पत्र के साथ अपने समस्त शैक्षणिक, जाति, मूल निवास, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र (छः माह से पुराने नहीं हो) एवं खेल प्रमाण–पत्रों की स्व–प्रमाणित छायां प्रतियां संलग्न करना आवश्यक है।

IV. आवेदन पत्र संलग्न प्रपत्र में आवेदक द्वारा भरकर प्रस्तुत करना होगा।

V. चयनित अभ्यार्थियों को 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्ति किया जायेगा। परिवीक्षा अवधि में खेल में दक्षता एवं संतोषजनक कार्य निष्पादन पर ही स्थाईकरण किया जायेगा।

परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नही पाये जाने पर आरपीएसएसआर–1989 के प्रावधानानुसार परिवीक्षा अवधि को नियमानुसार बढ़ा दिया जायेगा।

VI. अभ्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाण–पत्र एवं सूचना गलत व जाली पाये जाने पर उसे नियमानुसार सेवा से पृथक करते हुये नियमानुसार आपराधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

VII. आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में नही होने तथा अधूरा होने की स्थिति में निरस्त कर दिया जाएगा।

VIII. आवेदन पत्र पर फोटोग्राफ, हस्ताक्षर नही होने एवं निर्धारित शुल्क संलग्न नही होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

IX. आवेदन पत्र के साथ निर्धारित प्रमाण–पत्रों की स्व–प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न नही किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

X. अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। ।

XI. अन्य कोई अनियमितता जिसके कारण चयन बोर्ड आवेदन पत्र निरस्त कर सकेगा।

XII. आवेदन पत्र में उप निरीक्षक पुलिस या प्लाटून कमाण्डर में से कोई एक पद जिसके लिए इच्छुक हो, का स्पष्ट उल्लेख करें। अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु केवल उसी पद के लिए विचार किया जायेगा, जिसके लिये उसने आवेदन पत्र में प्राथमिकता अंकित की होगी।

XIII. प्राप्त आवेदन पत्रों में से स्क्रीनिंग उपरान्त चयन बोर्ड द्वारा पात्र पाये गये अभ्यार्थियों को ट्रायल हेतु बुलाया जावेगा, जिसकी सूचना विभागीय वेबसाईट एवं समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित की जाएगी।

XIV. यदि कोई आवेदक पूर्व से ही भारत सरकार/राज्य सरकार/पब्लिक सेक्टर ऑरगेनाईजेशन में सेवारत हैं, तो उसे आवेदन पत्र के साथ सम्बन्धित विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

10- चयन प्रकियाः–

अभ्यर्थी का चयन उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये खेल प्रमाणों के अंको एवं ट्रायल में प्राप्त अंको के आधार पर तैयार मैरिट के अनुसार किया जाएगा।

11- खिलाडियों की अनुपलब्धता की स्थिति में खेल वाईज रिक्त पदों में कमी/वृद्धि की जा सकती है।

11/5/17

(मनोज भटट)
महानिदेशक पुलिस
राजस्थान जयपुर।

प्रपत्र "अ"

राज0 पुलिस में उप निरीक्षक पुलिस/प्लाटून कमाण्डर के पद पर खेल कोटा के अर्न्तगत सीधी भर्ती हेतु आवेदन पत्र

सेवामें,

महानिरीक्षक पुलिस,

(मुख्यालय) राजस्थान, जयपुर।

स्व–सत्यापित अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हाल का पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं।

1. अभ्यर्थी का नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) ....
   हिन्दी में ....
2. पिता का नाम ....
3. वर्तमान पता ....
   राज्य..........................पिन..........................
4. स्थाई पता ....
   ....राज्य..........................पिन..........................
5. (क) संपर्क टेलीफोन नं. (मय एसटीडी कोड/मोबाईल नं..........................
   (ख) ई–मेल (यदि है तो) ....
6. जन्मतिथि (मैट्रिक/दसवीं अंकतालिका प्रमाण–पत्र के अनुसार)..........................
   (मैट्रिक/दसवीं कक्षा उत्तीर्ण प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
7. आयु (दिनांक 01.01.2018 को) ....वर्ष..................माह..................दिन
8. लिंग(पुरुष/महिला)..........................9–राष्ट्रीयता..........................
9. समुदाय (अजा/अजजा/अपिव/ सामान्य)..........................
   (जाति प्रमाण–पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र की स्व सत्यापित फोटो प्रति तथा दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
10. व्यक्तिगत पहचान चिन्ह..........................
11. शैक्षणिक योग्यता मय अंकतालिका (अंकपत्रों/प्रमाण–पत्रों की स्व–सत्यापित प्रतियां संलग्न करे।)..........................
12. (क) खेल..........................(ख) (Event)/ Category..........................
13. टीम में खेलने की पोजीशन (यदि लागू हो तो)..........................
14. संक्षिप्त में खेल उपलब्धियां (विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 3 वर्ष से ज्यादा पुरानी नही होनी चाहिए)..........................

15. पदनाम जिसके लिए आवेदन किया है। (उप निरीक्षक पुलिस/प्लाटुन कमाण्डर)

प्राथमिकता 1..2..

नोटः—दिये गये प्राथमिकता के विरूद्व ही अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु विचार किया जायेगा।

16. संलग्न भारतीय पोस्टल ऑर्डर का ब्यौराः— डाकघर का नाम ....

तिथि..राशि..

17. क्या आप पूर्व से ही भारत सरकार/राज्य सरकार/पब्लिक सेक्टर ऑरगेनाईजेशन में सेवारत है या नही ? ....

यदि हां तो विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें।

<u>घोषणा</u>

मै एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपर वर्णित किया गया है वह मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है। यदि कुछ गलत या असत्य पाया जाता है, तो आवेदन निरस्त हो जाएगा और यदि गलती का पता मेरे चयन के बाद चलता है, तो मेरी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। मैं राजस्थान पुलिस में कहीं भी तैनात किए जाने का इच्छुक हूँ।

स्थान :—................................

दिनांक :— ....

बांये हाथ का अंगूठा

....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

(अंग्रेजी के बडे अक्षर में ना हो)